दिनाक 17.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–17/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुरादाबाद/थाना मैनाठेर

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **डकैती की घटना का अनावरण,**
- **लूट के सोने चॉदी के आभूषण,**
- **03 लाख 65 हजार रूपये नगद,**
  (शत–प्रतिशत माल)
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर,**
- **06 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 16.02.2021 की सायं थाना मैनाठेर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मैनाठेर क्षेत्र से 05 शातिर अभियुक्तो 1–राकेश 2–सतबीर 3–अमरपाल 4–उदयपाल 5–अनिल को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने चॉदी के आभूषण (सोने की 04 चूड़िया, सोने की 04 अंगूठी, सोने की 02 चैन, सोने की 02 टॉप्स, सोने की 01 जोड़ी बिछया, चॉदी की 02 अंगूठी, बिछिया आदि), 03 लाख 65 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 10.02.2021 को थाना मैनाठेर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशो द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0–35/2021 धारा 395/397 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के

प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से बरामद सोने–चॉदी के आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–राकेश निवासी भूड़ा बास थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद मुरादाबाद।

2–सतबीर निवासी भूड़ा बास थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद मुरादाबाद।

3–अमरपाल निवासी भूड़ा बास थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद मुरादाबाद।

4–उदययपाल निवासी परमानन्दपुर थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं।

5–अनिल निवासी अशोक बाटिका थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी–:

1–लूट के सोने चॉदी के आभूषण (सोने की 04 चूड़िया, सोने की 04 अंगूठी, सोने की 02 चैन, सोने की 02 टॉप्स, सोने की 01 जोड़ी बिछिया, चॉदी की 02 अंगूठी, बिछिया आदि),

2–03 लाख 65 हजार रूपये नगद,

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस,

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल,**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल के इंजन,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस,**
- **01 लोडर आदि बरामद**

दिनॉकः 16.02.2021 को थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर असरफाबाद जंगल से घेराबन्दी कर 04 अभियुक्तों 1–राजेश 2–ताहिर 3–राजकुमार

4—राजन उर्फ शान्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, चोरी की 05 मोटर साइकिल के इंजन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 लोडर आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके द्वारा जनपद गोण्डा के विभिन्न थाना क्षेत्रो में दो पहिया वाहनो की चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—राजेश निवासी विछनईया पाण्डेय हालपता—श्रींगीनारी थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

2—ताहिर निवासी गिघनी थाना गौर जनपद बस्ती।

3—राजकुमार निवासी जीतीपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

4—राजन उर्फ शान्ति निवासी कोडरी थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगीः—

1—चोरी की 09 मोटर साइकिल,

2—चोरी 05 मोटर साइकिल के इंजन,

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस,

4—01 लोडर आदि।

जनपद मेरठ/थाना सिविल लाइन

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 26.02.2021 की रात्रि थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विक्टोरिया पार्क के पास बदमाशो की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस

टीम पर जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मल्खे उर्फ जीतू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं। दिनॉकः 16.02. 2021 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी ,जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोबाइल फोन उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

मल्खे उर्फ जीतू निवासी—खानपुर सराय थाना कोतवाली जनपद सम्भल हालपता—सिविल लाइन, मेरठ।

बरामदगी—:

1—लूट के 01 मोबाइल फोन,

2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

3—01 मोटर साइकिल।

साइबर काइमःअभियुक्त मनीष सविता पुत्र विनोद कुमार सविता नि0 ग्राम सलेमपुर मुड़िया थाना निबोहरा,तहसील फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र0 करीब 26 वर्ष को साइबर काइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ की टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाना।

दिनांकः 06.11.2020 को वादिया श्रीमती वीना सागर पत्नी श्री रामसागर म0नं0 718, साईकृपा वर्फ खाना रोड सुरेन्द्र नगर जनपद अलीगढ़ द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर परिक्षेत्रीय साईबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ में मु0अ0सं0 05/2020 धारा 420 भादवि व 66डी आई0टी0एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुये विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक, साइबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त अभियोग की विवेचना से अभियुक्त मनीष सविता पुत्र विनोद कुमार सविता नि0 ग्राम सलेमपुर मुड़िया थाना निबोहरा,तहसील फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र0 करीब 26 वर्ष प्रकाश में आया, जिसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र करके साइबर ठगी का पैसे अपने कैनरा बैंक खाता नम्बर 4273108000647 शाखा मरैना फतेहाबाद में ट्रांसफर कराकर और उसके बाद निकाल कर साइबर ठगी को अंजाम देने के आधार पर अभियोग में धारा 120बी भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

दिनांकः 16.02.2021 को उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त मनीष सविता पुत्र विनोद कुमार सविता नि0 ग्राम सलेमपुर मुड़िया थाना निबोहरा,तहसील फतेहाबाद जनपद आगरा उम्र0 करीब 26 वर्ष को गिरफ्तारी हेतु साइबर क्राइम थाना अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ से गठित टीम द्वारा बसंत बिहार कालौनी के सामने मैन रोड एच0पी0 पैट्रौल पम्प के पास से शमशाबाद रोड, आगरा से गिरफ्तार किया।

<u>अपराध करने का तरीकाः—</u>

- वादिया से फोन काल के माध्य से क्रेडिट कार्ड को ओपन/बन्द कराने के बावत क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित जानकारी क्रेडिट कार्ड नम्बर व ओ0टी0पी हासिल करना।
- उक्त जानकारी क्रेडिट कार्ड नम्बर व ओ0टी0पी को पूंछकर वादिया के क्रेडिट कार्ड से 110,000/—रूपये को अपने साथियों के मोबीक्यूक पेमेंट वोलिट में ट्रांस्फर करना।
- मोबीक्यूक पेमेंट वोलिट से अपने व आपने भाई के बैंक एकाउण्टों में रूपये आनॅलाइन ट्रांसफर कराके और अपने एकाउंट से पैसा निकाल लेता है।
- इस साइबर ठगी से प्राप्त पैसो को वह आपस में बांट लेता है।
- इसके अतिरिक्त इसी मोबीक्यूक पेमेंट वोलिट से ऑनलाइन ठगी के आये पैसों को इसका भाई विष्णु के द्वारा अपने अन्य साथी योगेश कुमार उर्फ विदित (जो पूर्व से थाना हाजा के इसी अभियोग 05/2020 में गिरफ्तार होकर जिला कारागार अलीगढ़ में निरूद्ध है) व लोकेश कुमार के सयुक्त खाते में ट्रांस्फर कर देता था, जिसको योगेश कुमार व उसका भाई लोकेश ए0टी0एम0 से निकाल कर अपने साथियों में आपस में बांट लेते थे।

<u>अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः—</u>

1. 01 अदद मोबाइल REDMI-5
2. 01 जियो का नया सिम मय रैपर
3. 01 आधार कार्ड, मनीष उपरोक्त
4. 01 ड्राइविंग लाइसेंस, मनीष उपरोक्त
5. 150/—रूपये नकद

साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र– प्रयागराज

साइबर अपराधो के अनावरण के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश श्री राम कुमार के आदेशानुसार साइबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम मे पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री कवीन्द्र प्रताप सिंह के दिशा निर्देश व पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम श्री त्रिवेणी सिंह व क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र –प्रयागराज के प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार तिवारी की टीम के द्वारा भूर्तपूर्व सैनिक के दो खातो से आनलाइन लाखो रूपये की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को मु0अ0सं0 02/2021 धारा 419/420 भा0द0वि0 व 66 C/D आई0टी0 एक्ट में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई ।

ज्ञात हो कि दिनाँक 20.11.2020 को वादी भूर्तपूर्व सूबेदार मेजर श्री गोपाल जी सिंह पुत्र अमर देव सिंह नि0 म0नं0 11ए/1सी भोला का पूरा सूलेमसराय थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज के जम्मू कश्मीर पोस्टिंग के दौरान उनके दो खातों से आनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से 6,14,326.55 रू0/– अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिये जाने के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती प्रा0पत्र की जांच में तकनीकी संशाधनो का प्रयोग करते हुये जानकारी एकत्र की गई व IP Address के लोकेशन के अनुसार अभियुक्त अनुज सिंह पुत्र शिवाजी सिंह नि0 सहेरी जखनिया गाजीपुर हालपता सी1 2066 पार्क ड्राइव डीआईएफ फेस 5 गुडगांव नियर रैपेट मेट्रो सेक्शन 53 हरियाणा के द्वारा आनलाइन 6,14,326.55 रू0/– ठगी की गई जिसका नाम प्रकाश में आया, तत्पश्चात साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र – प्रयागराज पर मु0अ0सं0 02/2021 धारा 419/420 भा0द0वि0 व 66C/D आई0टी0 में पंजीकृत कर अभियुक्त अनुज सिंह पुत्र शिवाजी सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध करने का तरीका – अनुज सिंह पुत्र शिवाजी सिंह नि0 सहेरी जखनिया गाजीपुर हालपता सी1 2066 पार्क ड्राइव डीआईएफ फेस 5 गुडगांव नियर रैपेट मेट्रो सेक्शन 53 हरियाणा द्वारा बताया कि वादी गोपाल जी सिंह पुत्र अमर देव सिंह नि0 म0नं0 11ए/1सी भोला का पूरा सूलेमसराय थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज जोकि मेरे सगे

मामा है । उनके दो खातो का विवरण मेरे द्वारा एयरटेल पेमेन्ट बैंक में जोड़ा गया व उनके मोबाइल में UPI जनरेट करके व मामा के मोबाइल में ANYDESK APP इन्सटाल कर उनके मोबाइल का रिमोट एक्सेस कर आनलाइन स्थानान्तरण के मैसेज का प्रयोग से धोखाधड़ी करके खातो से लगभग 6,14,326.55 रू0/— ठगी कर अपने विभिन्न खातों में स्थानान्तरण कर आनलाइन खरीद दारी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण —

अनुज सिंह पुत्र शिवाजी सिंह स्थायी पता नि0 सहेरी जखनिया गाजीपुर उ0प्र0, व सी1 2066 पार्क ड्राइव डीआईएफ फेस 5 गुडगांव नियर रैपेट मेट्रो सेक्शन 53 हरियाणा ।

बरामदगी —

1. चार अदद सिम कार्ड — 02 जियो, 1 एयरटेल, 1 वोडाफोन
2. एक अदद स्मार्ट फोन MI (घटना में प्रयुक्त)
3. तीन अदद एटीएम कार्ड (PNB, UBI, SBI)
4. एक अदद ब्लैंक चेंक एसबीआई बैंक
5. छः अदद रशीदी बिल (धोखाधड़ी के पैसे से)

———————